

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5796 /

जबलपुर, दिनांक २९ / ११ / २०१९

दो-१३-२८ / १९

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-६-१/२०१२/नियम/चार भोपाल, दिनांक ०८ मार्च २०१९ के आलोक में श्री सुरेश कुमार राय, सेवानिवृत्त रिकार्ड सप्लायर, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर को दिनांक ३१/१०/२०१९ से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उक्त तिथि को पात्रता अनुसार २१२ दिन के अर्जित अवकाश के नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सही / -

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/5797

जबलपुर, दिनांक २९ / ११ / २०१९

दो-१३-२८ / १९

प्रतिलिपि :-

1. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री सुरेश कुमार राय, रिकार्ड सप्लायर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(किशोर पिठवे)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)

५